

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू कैम्प


क्रमांक: राजस्व/प्र.गाँव के. लेग | 2022/20 दिनांक : 26/05/22

मि.ने. 84/2022

आदेश

आवेदक श्री श्रीमा सुनी कल्याण ने तहसील कोटखावदा में ग्राम हनुमानपुरा इ.क. रूपवाण स्थित आराजी ख.न.खाता सं. 87 रकबा 19.80 हे.के संबंध में जमाबन्दी सम्वत् 2073-2076 के खाता संख्या 87 पर अंकित प्रविष्टि दुरुस्त कराने हेतु आवेदन पेश किया। पटवारी हल्का द्वारा जाँच की जाकर ग्राम हनुमानपुरा इ.क. रूपवाण जमाबन्दी के खाता संख्या 87 की प्रविष्टि के स्थान पर श्रीमा देवी सुनी कल्याण किया जाना उचित बताया है। तहसीलदार कोटखावदा द्वारा भी अपनी रिपोर्ट के अनुसार जमाबन्दी में अंकित प्रविष्टि दुरुस्त करने की अभिशंषा की है।


अतः राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत पटवारी हल्का वडोदिया की रिपोर्ट व तहसीलदार कोटखावदा की अभिशंषा के आधार पर प्रार्थिका श्री श्रीमा देवी सुनी कल्याण जाति जाट निवासी हनुमानपुरा इ.क. रूपवाण तहसील कोटखावदा के आवेदन पर जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 के खाता संख्या 87 में अंकित प्रविष्टि सुमते सुनी कल्याण के स्थान पर श्रीमा देवी सुनी कल्याण जाट किए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे।

  
शिविर प्रपारी  
उपखण्ड अधिकारी  
चाकसू (जयपुर)

क्रमांक: राजस्व/प्र.गाँव के. लेग | 2022/21-22 दिनांक : 26/05/22

प्रतिलिपि निम्न को पालनार्थ प्रेषित है-

1. तहसीलदार कोटखावदा
2. पटवारी हल्का वडोदिया

  
शिविर प्रपारी  
उपखण्ड अधिकारी  
चाकसू (जयपुर)